विधेयकों को धन विधेयक घोषित करने की चुनौती पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई

प्रिलिम्स के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, धन विधेयक, भारत की समेकित निधि, विधेयकों के प्रकार

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान, न्यायिक समीक्षा

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र द्वारा संसद में धन विधेयक के रूप में महत्त्वपूर्ण संशोधनों को पारित करने के तरीके से संबंधित एक संदर्भ को प्राथमिकता देने के अनुरोध को संबोधित किया।

धन विधेयक के रूप में पारित चुनौतीपूर्ण संशोधन:

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) संशोधन:**
  - वर्ष 2015 के बाद से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में किये गए संशोधनों ने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान कीं, जिसमें गिरफ्तारी करने और छापेमारी का अधिकार भी शामिल है।
    - प्राथमिक चिंता इन **संशोधनों को धन विधेयक** के रूप में पारित करना है, जिससे उनकी वैधता और संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं।
    - कानूनी विशेषज्ञ और याचिकाकर्त्ता सवाल करते हैं कि क्या इन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को संसद के दोनों सदनों से जुड़ी मानक विधायी प्रक्रिया का पालन करना चाहिये था।
- **वित्त अधिनियम, 2017:**
  - वित्त अधिनियम, 2017 को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत एवं पारित किया गया, जिससे इस विधायी प्रक्रिया के उचित उपयोग के विषय में चिंताएँ बढ़ गईं।
  - आरोप है कि अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण **और** केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सहित 19 प्रमुख न्यायिक न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों में बदलाव करना है।
    - आरोप है कि वर्ष 2017 अधिनियम को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना इन न्यायाधिकरणों पर कार्यकारी नियंत्रण बढ़ाने को लेकर जानबूझकर किया गया एक प्रयास था।
  - अधिनियम के पारित होने के साथ-साथ ऐसे बदलाव भी हुए जिनसे इन प्रमुख न्यायिक निकायों में कर्मचारियों के लिये आवश्यक योग्यता और अनुभव को कम कर दिया गया।
- **आधार अधिनियम, 2016:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया था औरआधार अधिनियम **को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत वैध धन विधेयक** के रूप में मंज़ूरी दे दी थी।
    - सरकार ने तर्क दिया था, चूँकि आधार के माध्यम से वितरित सब्सिडी **भारत के समेकित कोष** से आती है, इसलिये कानून को वैधानिक तौर पर धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया जिसने कानूनी और कार्यविधि संबंधी प्रश्न उठाए।
      - धन विधेयक **केवल लोकसभा के लिये होते हैं और राज्यसभा के प्रभाव को सीमित करते हैं।**
    - हाल ही में CJI ने अधिक व्यापक समीक्षा के लिये कहा।

वृहद् पीठ (Larger Bench) के निहितार्थ:

- PMLA, आधार अधिनियम और ट्रिब्यूनल सुधारों की संवैधानिकता पर स्पष्टता।

    - यह निर्धारित करना कि क्या इन कानूनों को सही तरीके से धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था अथवा राज्यसभा की जाँच को रोकने के लिये इनका प्रयोग किया गया था।
- इस बात का समाधान करना कि क्या ये वर्गीकरण कानूनी रूप से सही थे या निगरानी से बचने के लिये रणनीतिक चालें थीं।
- वृहद् पीठ के बीच बहस से इस बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है कि **न्यायपालिका धन विधेयक के रूप में उपायों को नामित करने के संबंध में अध्यक्ष के निर्णयों पर किस हद तक जाँच कर सकती है।**

धन विधेयक:

- **परिभाषा:**
    - धन विधेयक एक वित्तीय कानून है जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **संवैधानिक आधार:**
    - **अनुच्छेद 110 (1)** किसी विधेयक को धन विधेयक समझा जाता है यदि वह अनुच्छेद 110 (1) **(a)** से **(g)** में निर्दिष्ट मामलों, विशेषकर कराधान, सरकार द्वारा उधार लेना और **भारत की संचित निधि** से धन के विनियोग, से संबंधित है।
        - अनुच्छेद 110(1)(g) के अनुसार **"अनुच्छेद 110(1)(a)(f) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि से जुड़ा कोई भी मामला" धन विधेयक हो सकता है।**
    - संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, "यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं" **तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।**
- **प्रक्रिया:**
    - धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये किंतु राज्यसभा (उच्च सदन) में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
    - राज्य सभा किसी धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है लेकिन उसमें संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति उसके पास नहीं है।
    - राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है **लेकिन उसे पुनर्विचार के लिये वापस नहीं कर सकता।**
    - **इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।**

विधेयकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधेयक
- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधेयक
- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:
  - करारोपण
  - सरकारी व्यय
  - संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
  - भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधेयक
- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग:
  - वित्त विधेयक (I) -उदाहरण. - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।
  - वित्त विधेयक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधेयक
- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधेयकों के प्रकार

विशेषताएँ	साधारण विधेयक	धन विधेयक	वित्त विधेयक (I)	वित्त विधेयक (II)	संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद	107, 108	110	117 (1)	117 (3)	368
जिन सदनों में पेश किया जा सकता है	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	केवल लोकसभा	केवल लोकसभा	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं)
जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है	मंत्री या निजी सदस्य	केवल मंत्री	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य
राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधेयक पेश करने के संदर्भ में)	आवश्यक नहीं	आवश्यक है	आवश्यक है	केवल विचार के लिये सिफारिश	आवश्यक नहीं
राज्यसभा द्वारा संशोधन/ अस्वीकृति	किया जा सकता है	सिफारिश ही की जा सकती है (बाध्यकारी नहीं)	किया जा सकता है	किया जा सकता है	किया जा सकता है
गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं
राष्ट्रपति की भूमिका	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस नहीं भेज सकता	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता / वापस नहीं भेज सकता)

Drishti IAS

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2018)

(a) किसी बिल (विधेयक) को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी,परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हों।
(b) धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते है।
(c) धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है।
(d) धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है।

उत्तर: (C)

प्रश्न. यदि किसी धन विधेयक में राज्य सभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा ? (2013)

(a) लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सफिारशिों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए वधियेक पर आगे बढ़ सकती है।
(b) लोकसभा इस वधियेक पर आगे वचिार नहीं कर सकती।
(c) लोकसभा इस वधियेक को पुनर्वचिार के लयि राज्यसभा में भेज सकती है।
(d) राष्ट्रपत विधियेक पारति करने के लयि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

उत्तर: (A)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-to-hear-challenge-on-designation-of-bills-as-money-bills